द्वारा ई–मेल

कार्यालय कलेक्टर/अपर जिलाधिकारी(भू0अ0), गौतमबुद्धनगर।

(भूमि अर्जन कार्यालय, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जेवर)
एच-169, चितवन एस्टेट, सैक्टर गामा-2, ग्रेटर नौएडा

पत्रांकः 1379 /आठ-अ0जि0अ0(भू0अ0)/नो0अ0ग्री0ए0जे0/गौतमबुद्धनगर   दिनांक 17/11/2021

सम्पादक,
1- दैनिक जागरण
2- अमर उजाला

विषयः– **नोएडा अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जेवर के विस्तारीकरण (फेज–1/स्टेज–2) के लिए भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में सामाजिक समाघात निर्धारण (SIA) हेतु नामित एजेन्सी द्वारा तैयार सामाजिक समाघात निर्धारण और सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना की अन्तिम रिपोर्ट के प्रकाशन के संबंध में।**

महोदय,

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नामित एजेन्सी गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय द्वारा नोएडा अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जेवर के विस्तारीकरण (फेज–1/स्टेज–2) के लिए भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में शासन से स्वीकृत Terms of Reference (TOR) के अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण की अंतिम रिपोर्ट (Final Report) तैयार कर अपने पत्र संख्या–जी0बी0यू0–002/प्रशा./ई.ई./009/2021–344 दिनांक 16.11.2021 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी है, जिसका प्रकाशन प्रभावित क्षेत्र (जेवर) में प्रचलित दो दैनिक समाचार पत्रों में कराया जाना है। नागरिक उड्डयन विभाग के पत्र संख्या 2171/छप्पन–2020–31/2016 (स्टेज–2) दिनांक 17.11.2021 द्वारा राज्य सरकार की ओर से प्रकाशन हेतु अधोहस्ताक्षरी को अधिकृत किया गया है।

अतः सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना के प्रकाशन संबंधी सार्वजनिक सूचना की प्रति पत्र के साथ संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन प्रभावित क्षेत्र में प्रचलित दो दैनिक समाचार पत्रों में सरकारी दर पर कराते हुए प्रकाशित समाचार पत्रों की 10–10 प्रतियों सहित व्यय की धनराशि के बिल भुगतान हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

17/11/2021

कलेक्टर/
अपर जिलाधिकारी (भू0अ0)
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक व दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपिः–

1. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, गौतमबुद्धनगर को इस आशय से कि सार्वजनिक सूचना एवं सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना को जनपद की वेबसाईट पर बने ***Noida International Airport Jewar*** नामक पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
2. उप जिलाधिकारी, जेवर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. तहसीलदार, जेवर, को इस निर्देश के साथ कि सार्वजनिक सूचना की प्रत्येक ग्राम में मुनादी कराने और मुनादी की विडियो रिकार्डिंग भी कराना सुनिश्चित करें।
4. श्री अनवर, कार्यालय चपरासी, भूमि अध्याप्ति इकाई को इस निर्देश के साथ कि सार्वजनिक सूचना को प्रत्येक ग्रामों की नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद/जिला कलेक्टर/उपजिलाधिकारी/तहसील जेवर के नोटिस बोर्ड, भूमि अध्याप्ति कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं कलेक्ट्रेट नजारत नोटिस बोर्ड तथा प्रभावित क्षेत्र में किसी सदृश्य स्थान पर चस्पा करें तथा साथ ही सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना की प्रतियां प्रभावित ग्रामों के ग्राम प्रधान के पास, नगर पालिका या नगर निगम के कार्यालय में, जिला कलेक्टर, गौतमबुद्धनगर के कार्यालय में, प्रशासक R&R/उपखण्ड मजिस्ट्रेट के तहसील जेवर कार्यालय में जनसामान्य के निरीक्षण हेतु रक्षित कराते हुए फोटोग्राफ सहित तामिल रिपोर्ट कार्यालय में प्रस्तुत करें।

कलेक्टर/
अपर जिलाधिकारी (भू0अ0)
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय कलेक्टर/अपर जिलाधिकारी(भू0अ0), गौतमबुद्धनगर।

(भूमि अर्जन कार्यालय, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जेवर)
एच-169, चितवन एस्टेट, सैक्टर गामा-2, ग्रेटर नौएडा

सार्वजनिक सूचना

नोएडा अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जेवर के विस्तारीकरण (फेज-1/स्टेज-2) के लिए ग्राम मुढरह, वीरमपुर, कुरैब, करौली बांगर, रन्हेरा व दयानतपुर की कुल 1310.5128 हेक्टे0 भूमि के अर्जन से पूर्व प्रस्तावित भूमि के संबंध में ड्राफ्ट सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना पर अधिनियम में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत लोक सुनवाई पूर्ण करने के उपरान्त लोक सुनवाई में प्रभावित भू-स्वामियों के आक्षेपों एवं सुझावों को सम्मिलित करते हुए शासन द्वारा नामित एजेन्सी गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय, गौतमबुद्धनगर द्वारा अन्तिम सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना तैयार कर उपलब्ध करायी गयी है।

प्रभावित क्षेत्र के हितबद्ध भू-स्वामियों को सूचित किया जाता है कि सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना जन सामान्य के अवलोकन हेतु कलेक्टर (भू0अ0) के कार्यालय एच-169, चितवन एस्टेट, सैक्टर गामा-2, ग्रेटर नौएडा गौतमबुद्धनगर, जिला कलेक्टर के कार्यालय सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा, उपखण्ड मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी के तहसील कार्यालय, जेवर, प्रभावित ग्राम की नगर पंचायत, नगर पालिका एवं संबंधित ग्राम प्रधान के पास रक्षित है। सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना की प्रति जनपद गौतमबुद्धनगर की वेबसाईट ***www.gbnagar.nic.in*** पर बने ***Noida International Airport Jewar*** नामक पोर्टल पर भी देखी जा सकती है।

कलेक्टर/
अपर जिलाधिकारी (भू0अ0)
गौतमबुद्धनगर।